



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक २६७१/७सी०
सेवा में,

दिनांक ३० अक्टूबर 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग हेतु 3.60 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० 151058/2022)।

संदर्भ: 08बी०/यू०सी०पी०/०६/५३/२०२३/एफ०सी०/२२८ दिनांक २४.०५.२०२३ एवं आपका कार्यालय पत्र सं० ४००/१२-१ दिनांक ०४.०८.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत प्रेषित है:-

	आपत्ति	निराकरण													
1.	The KML analysed and found that the village Tuleri has already been connected from the existing road, while the other village Naini can be connected along the existing bridal path from the other side in a way so that number of trees to be felled can be reduced to its minimum. The State Government is requested to explore the possibility of alternate along with the existing bridal path in order to connect the village Naini and submit the detailed report.	लो०नि०वि० एवं भारत सरकार द्वारा सुझाये गये संरेखन का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है। <table><tr><th>प्रस्तावित संरेखन</th><th>पैदल रास्ते वाला संरेखन</th></tr><tr><td>1.प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 13 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।</td><td>1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 18 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।</td></tr><tr><td>2.प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।</td><td>2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलों का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोट से उचित नहीं है।</td></tr><tr><td>3. प्रस्तावित संरेखन में कम उँचाई की चट्टाने होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।</td><td>3. इस मार्ग में अधिक उँचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानें होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।</td></tr><tr><td>4. प्रस्तावित संरेखणन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की है।</td><td>4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है(आख्या संलग्न)।</td></tr><tr><td>5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।</td><td>5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।</td></tr></table>		प्रस्तावित संरेखन	पैदल रास्ते वाला संरेखन	1.प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 13 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 18 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	2.प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।	2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलों का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोट से उचित नहीं है।	3. प्रस्तावित संरेखन में कम उँचाई की चट्टाने होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।	3. इस मार्ग में अधिक उँचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानें होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।	4. प्रस्तावित संरेखणन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की है।	4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है(आख्या संलग्न)।	5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।	5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।
प्रस्तावित संरेखन	पैदल रास्ते वाला संरेखन														
1.प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 13 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगड़ा बाजार जाने में 18 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।														
2.प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।	2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलों का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोट से उचित नहीं है।														
3. प्रस्तावित संरेखन में कम उँचाई की चट्टाने होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।	3. इस मार्ग में अधिक उँचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानें होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।														
4. प्रस्तावित संरेखणन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की है।	4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है(आख्या संलग्न)।														
5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।	5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।														
2.	The tree enumeration detail is not clear because the number (trees count) mentioned in the documents uploaded as an additional document in online portal is	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।													

	Part II at Para 4. State Government is requested to clarify this discrepancy and provide/ upload the correct information in this regard.	
3.	The State Government is requested to provide tree enumeration details for 7m width also.	7 मी० चौ० में वृक्षों की गणना सूची पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 48 में अपलोड कर ली गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- भूगर्भीय आख्या 4न०।

भवदीय

की० 30/10/23

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

पत्रांक 2671 / 7सी०

तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

की० 30/10/23

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या/आर०सी०यू०/पुल/कुमांयू/2023

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम तुलेड़ी से ग्राम पंचायत नैड़ी (जिफल्टा)–कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 कि०मी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

अक्टूबर, 2023

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम तुलेड़ी से ग्राम पंचायत नैड़ी (जिफल्ता)– कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 कि०मी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1. प्रस्तावना— प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अधीन ग्राम तुलेड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्ता)– कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 16/10/2023 को ई० एस०एस०डंगवाल, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण— स्थल की संरचना, बनावट, भूगर्भीय एवं भूकम्पीय अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू-भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2. स्थिति— प्रस्तावित सड़क संरेखन ग्राम सत्यूँ–जिफल्ता–नैड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 4.00 पर स्थित हेयरपिन बैण्ड से प्रारम्भ होता है एवं कि०मी० 4.00 की लम्बाई पर नैड़ी के खेतों पर समाप्त होता है।

3. भूगर्भीय स्थिति— प्रस्तावित सड़क संरेखन सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय के कुमायूँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में अल्मोड़ा किस्टलाईन समूह की गुमालीखेत फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो सिस्टोज फिलाइट, बायोटाइट क्वार्टजाइट तथा क्वार्टज बेन्स के साथ इण्टर बेडेड है। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

1	080-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	22°	उत्तर	नति
2	090-270	पूर्व- पश्चिम	20°	उत्तर पूर्व	नति
3	110-290	दक्षिण पूर्व- उत्तर पश्चिम	28°	उत्तर पश्चिम	नति
4	060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	35°	उत्तर पश्चिम	नति
5	080-260	पूर्व उत्तर पूर्व- पश्चिम दक्षिण पश्चिम	75°	दक्षिण पूर्व दक्षिण	ज्वाइन्ट लेन
6	030-210	उत्तर पूर्व- दक्षिण पश्चिम	65°	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट लेन
7	140-320	दक्षिण पूर्व- उत्तर पश्चिम	80°	उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट लेन
8	050-230	उत्तर पूर्व- दक्षिण पश्चिम	70°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट लेन
9	050-230	उत्तर पूर्व- दक्षिण पश्चिम	88°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट लेन
10	120-300	दक्षिण पूर्व- उत्तर पश्चिम	62°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट लेन
11	090-270	पूर्व- पश्चिम	70°	दक्षिण	ज्वाइन्ट लेन
12	100-280		65°	दक्षिण पश्चिम दक्षिण	ज्वाइन्ट लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू भाग में स्थित चट्टानें 20° से 35° के मध्य उत्तर से उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 4 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

(4) स्थल वर्णन: — प्रस्तावित सड़क संरेखन सत्यौ-जिफल्टा-नैड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 4.00 पर स्थित हेयर पिन बैंड से प्रारम्भ होता है। यह सड़क संरेखन पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य, मध्यम से उच्च एवं अति उच्च ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएण्ट पहाड़ी ढलान पर 1:24 के फाल, 1:30 के फाल, 1:40 के फाल एवं लेवल में प्रस्तावित है। यह संरेखण अन्त में कोकिला गाँव के खेतों पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण संरेखन पर 5 सूखे नाले एवं 3 पेरिनियल नाले विद्यमान हैं। यह संरेखन आरक्षित वन भूमि, पंचायती वन भूमि, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है। यह संरेखन सत्यौ से कोकिलागाँव हेतु पैदल रास्ते के आस-पास से होकर गुजरता है। कि०मी० 2.00 तथा कि०मी० 3.00 का भाग में संरेखन अति उच्च ढलान के उपर से प्रस्तावित है।

मिट्टी की परत
डेब्रिज
सिस्टोज क्वार्ट्जाइट
बायोटाइट क्वार्ट्जाइट
फिलाइट
क्वार्ट्ज वेन्स
बायोटाइट क्वार्ट्जाइट

5. स्थाईत्व का विचार— प्रस्तावित सड़क संरेखण के स्थल की संरचना, बनावट, भूगर्भीय एवं भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

- (1) यह सड़क संरेखण मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
- (2) प्रस्तावित संरेखण में 5 सूखे एवं 3 पेरिनियल नाले हैं।
- (3) पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम, उच्च एवं अति उच्च ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
- (4) संरेखण का भाग वन भूमि पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
- (5) यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
- (6) सड़क संरेखण का ग्रेडियन्ट 1:24 के फाल, 1:30 के फाल, 1:40 के फाल एवं लेवल पर प्रस्तावित है।
- (7) संरेखण का कुछ भाग कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।
- (8) इस संरेखण में स्थित अधिकांश चट्टानें बायोटाइट क्वार्ट्जाइट की हैं।
- (9) इस सड़क संरेखण में हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित नहीं हैं।
- (10) संरेखण के भाग में स्थित पेरिनियल नालों के तलों की चौड़ाई 6.00 मी० से अधिक है।

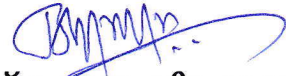
6. सुझाव — प्रस्तावित सड़क संरेखण के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय एवं भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैं।

- (1) सूखे नालों पर स्कपर एवं काजवे का निर्माण किया जाय।
- (2) पेरिनियल नालों के 6.00 मी० 8.00 मी० तथा 10.00 मी० के आर०सी०सी० पुलों का निर्माण किया जाय।
- (3) पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
- (4) भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
- (5) आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
- (6) गांव के आस पास मार्ग निर्माण के समय विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

- (7) सड़क संरेखन के भाग से निकलने वाले अवसाद के निस्तारण हेतु पृथक से डमप यार्डों का चिन्हीकरण करने के पश्चात ही डमप किया जाय।
- (8) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का अनुपालन किया जाय।
- (9) कि०मी० 2.00 एवं कि०मी० 3.00 में पहाड़ी का कटान करते समय डेब्रिस का अति उच्च ढलान से पहाड़ी ढलान पर गिरना निश्चित है।

7. निष्कर्ष— उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित ग्राम तुलेड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा)—कोकिलागॉव प्रस्तावित मोटर मार्ग का 4.00 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

टिप्पणी— स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस संरेखण का भी पूर्व में अध्ययन किया गया था जो वर्तमान स्थिति में प्रस्तावित संरेखण से श्रेष्ठ है। संरेखण के भाग में अति उच्च श्रेणी के ढलान के कारण तथा 3 आर०सी०सी० पुलों के निर्माण के कारण भी यह संरेखण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।



डॉ० आर० सी० उपाध्याय

(डा० आर० सी० उपाध्याय)

भू-वैज्ञानिक

भू वैज्ञानिक

हिमाद्रि-भ्यू, रानीधारा टापू

अल्मोडा 263 601 (उत्तराखण्ड)